



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 1399.

दिनांक:- 06/12/2021

## --:कार्यवाही विवरण:-

**विषय:-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

### एजेण्डा संख्या 1 :- (24.11.2021)

**विषय :-** भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2021 वीं बैठक दिनांक 27.09.2021 जोन दक्षिण के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

**निर्णय :-** समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

### एजेण्डा संख्या 2 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 350/6 रकबा 00.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री नत्थुराम पुत्र श्री खीयाराम।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को अनुमोदित आवासीय योजना में से उपलब्ध 40 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. आवेदित भूमि में प्रस्तावित पार्क के पास 10 फीट चौड़ा पाथ-वे रखा जाकर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

### एजेण्डा संख्या 3 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 323/7, 323/9 रकबा 02.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री रामप्रताप सिंह पंवार पुत्र श्री भूरसिंह, श्री अणदु सिंह पंवार पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, श्री नेनू कंवर पत्नी श्री उम्मेद सिंह।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के आस-पास विभिन्न योजनाएं अनुमोदित होने के कारण उक्त योजनाओं को पी.टी सर्वे मानचित्र पर एकजाई करते हुए तथा तदानुसार तकनीकी परीक्षण करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 4 :-**(24.11.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 323/3 रकबा 10.13.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :-श्री गुलाब सिंह, श्री अणदु सिंह, श्री जसवन्त सिंह पुत्रान् श्री रघुनाथ सिंह।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि की राजस्व मानचित्र में तरमीम के दृष्टिगत जोन स्तर पर जांच सुनिश्चित करते हुए एंवम आवेदित भूमि के आस-पास विभिन्न योजनाएं अनुमोदित होने के कारण उक्त योजनाओं को पी.टी सर्वे मानचित्र पर एकजाई करते हुए तथा तदानुसार तकनीकी परीक्षण करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 5 :-**(24.11.2021) जोन-दक्षिण

**विषय :-** राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 180, 180/2, 180/1, 181, 179, 181/1, 180/3, 180/4 रकबा 55.19.00 बीघा में से 55.12.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :- श्री बिजलाराम पुत्र श्री गलबाजी, श्री रतनाराम पुत्र श्री सांखलराम, श्री बिजाराम पुत्र श्री बालाराम, श्री मदनलाल पुत्र श्री रामाराम, श्री आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये श्री करण सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को अनुमोदित आवासीय योजना में से उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि के समीप स्थित नाडी के उपरान्त मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की पुस्तिका के अनुसार 30 फीट बफर जोन का प्रावधान सुनिश्चित किया जावें।
3. मौके पर स्थित 132 के.वी. एच.टी लाईन के नीचे नियमानुसार सेप्टी कोरीडोर का प्रावधान मानचित्र में किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार टॉवर व ठोस कचरा संग्रहण का प्रावधान किया जावें।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 6 :-(24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 100/6 रकबा 02.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
**आवेदक :-** श्री मूलचन्द नेहरा पुत्र श्री हुक्माराम जाट, श्री शरद चौधरी पुत्र श्री बालमुकुन्द चौधरी।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के समीप खसरा संख्या 99 में स्थित नहर (मौके पर पाटकर समतल) की भूमि में से पहुंच मार्ग के संबंध में पी.एच.ई.डी. विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। साथ ही राजस्व मानचित्र अनुसार नहर की चौड़ाई को सुपरईम्पोजिशन जोन स्तर पर करवाते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 7 :-(24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 139/4 रकबा 04.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
**आवेदक :-** श्री नेचलदास पुत्र श्री पूनमाराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व में बीपीसी (एल.पी.) की बैठक दिनांक 11.05.2017 में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 8 :-(24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 224/8 रकबा 04.00.00 बीघा के आवासीय योजना (सी.एम.जे.वाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
**आवेदक :-** श्री सुरेश गोयल पुत्र श्री चतुर्भुज।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को अनुमोदित आवासीय योजना में से उपलब्ध 40 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित सुविधा क्षेत्र व पार्क के सम्मुख स्थित सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट दर्शाते हुए एवं नियमानुसार आवश्यक इन्फॉर्मल शॉप्स दर्शाते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार टॉवर एवम् ठोस कचरा संग्रहण का प्रावधान किया जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।



**एजेण्डा संख्या 9 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 28/1, 25/2, 35/3, 35/5, 35/6 व 35/1 रकबा 04.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :- श्री अमृतलाल टाक पुत्र स्व. श्री कनीराम टाक

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि का वर्तमान मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में दर्शित भू-उपयोग में अनुज्ञेय गतिविधियों के अनुरूप प्रार्थी से विकल्प प्राप्त करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

**एजेण्डा संख्या 10 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 835/3 कुल रकबा 01.00.00 बीघा के सामान्य वेयर हाउस प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :- श्री जालाराम पुत्र श्री मोहनलाल

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित कांकाणी-लूणी राज्य राजमार्ग का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार सड़क मध्य से 200 फीट, तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 60 फीट रखी जावे। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वागित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 11 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 25/14 रकबा 04.17.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :- श्री राजेश चुंगलानी पुत्र श्री रमेश चुंगलानी।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि के उत्तर पश्चिम दिशा में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित 160 फीट सड़क का अंकन करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। साथ ही उपरोक्त 60 फीट सड़क को 160 फीट सड़क तक निरन्तर रखा जावे।

3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 12 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 13/2 रकबा 05.00.00 बीघा के नॉन पॉल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।  
आवेदक :- श्रीमती भगवती सरगरा पत्नी श्री कालूराम।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित जोधपुर-बाड़मेर मुख्य मार्ग का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार सड़क मध्य से 200 फीट, तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 में मिश्रित भू-उपयोग होने के कारण राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम, 2020 के अनुरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में सुरक्षात्मक दृष्टि से भूखण्ड के चारों ओर न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक रखे जावे।
3. Non-Polluting Handicraft Industries बाबत् संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार 18 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर Non-Polluting Handicraft Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 13 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1, 332 रकबा 28.09.00 बीघा में से स्वयं के हिस्से की 01.00.00 बीघा (भू.सं. 15) के आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

①

आवेदक :-श्री प्रवीण खत्री पुत्र डॉ एम.एल. खत्री।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण सम्पूर्ण खसरे का एकजाई प्लान आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण को बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 14 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 25 रकबा 74.18.18 बीघा में से 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :-श्री बिरदाराम पुत्र श्री बोहराराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्रार्थी को संपूर्ण खसरा संख्या 25 में से आवेदित भूमि को राजस्व मानचित्र पर मार्क करने के उपरान्त तथा तरमीम सुदा मानचित्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 15 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189/1 रकबा 01.15.10 बीघा में से 00.14.08 बीघा के व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :- श्री जितेन्द्र गांधी पुत्र श्री ब्रजमोहन गांधी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के अनुसार 200 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. प्रार्थी से व्यवसायिक उपयोग में विशिष्टीकृत उपयोग के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावे।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच उपरांत ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 110/12 रकबा 05.12.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
आवेदक :-श्री रतनलाल भाटिया पुत्र श्री भगाराम मेघवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

8

1. आवेदित भूमि जोधपुर-सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के अनुसार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. सड़क मार्गाधिकार में निर्मित दुकानों को हटाये जाने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आवेदित भूमि में सड़क मार्गाधिकार के अतिरिक्त निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 17 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 297 / 5 रकबा 00.10.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

**आवेदक :-** श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री मांगीलाल, श्री रमेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल, श्रीमती शालीनी पत्नी श्री रमेश पंवार

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि पाल-सांगरिया मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि एवं सड़क के मध्य स्थित खसरा संख्या 296 के स्वामित्व की स्थिति जोन स्तर पर जांच करते हुए नियमानुसार राशि ली जावें।
3. आवेदित भूमि पर निर्माण एवं विद्युत लाईन के संबंध में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।



**एजेण्डा संख्या 18 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 141/8 रकबा 05.09.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

**आवेदक :-** मैसर्स एलाईट आर्ट्स एण्ड कापटर्स जरिये प्रो. श्री उमेश कुमार लीला

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. गुगल ईमेज अनुसार आवेदित भूमि के मध्य स्थित बाउन्ड्रीनुमा संरचना की जांच कर पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 19 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/5 रकबा 02.14.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

**आवेदक :-** मैसर्स परफेक्ट कियेशन जरिये भागीदार श्री गिरीश माहेश्वरी पुत्र श्री सोहनलाल माहेश्वरी व श्रीमती उषा मूंदडा पत्नी श्री कमलकिशोर

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सड़क रखी जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते की चौड़ाई प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये अनुमोदन अनुसार 60 फीट रखी जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि पर निर्माण के संबंध में वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे।



4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 20 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 322, 322/1 रकबा 04.00.00 बीघा के गोदाम एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्रीमती हमदादेवी पत्नी श्री रतनलाल, श्रीमती भोलीदेवी पत्नी श्री जबराराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण मे 'मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की सडक का डिमार्केशन करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे तथा सम्पूर्ण खसरे का सुपरइम्पोजिशन करवाया जावे। साथ ही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

**एजेण्डा संख्या 21 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189/3, 189/7 रकबा 01.19.00 बीघा में से 01.03.13 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

**आवेदक :-** श्री सुनील विश्‍नोई पुत्र श्री मलखानसिंह विश्‍नोई

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 264 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जाँच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावे।
5. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।
6. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावे।
7. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।



9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

**एजेण्डा संख्या 22 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 550/5 रकवा 01.01.00 बीघा में से 1627.43 वर्गमीटर के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।  
**आवेदक :-** श्री तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम जरिये खास मुख्तियार श्री रूपाराम पुत्र श्री पुराराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के 30 मीटर से 50 मीटर की परिधि के मध्य में आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान है। अतः आवेदक से PESO/संबंधित विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जावे।
2. प्रार्थी से पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा जारी मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. राजस्थान नगरीय क्षेत्र जोधपुर भवन विनियम 2020 के अनुसार डांगियावास बाईपास के मार्गाधिकार उपरान्त न्यूनतम 10 मीटर वफर जोन छोडा जावे।
4. आवेदित भूमि के आस-पास क्षेत्र में विद्यमान गतिविधियों के संबंध में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता से पुनः स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
5. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।

उक्त की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 23 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 201/6 क्षेत्रफल 1567.16 वर्गगज, 201/7 क्षेत्रफल 1643.28 वर्गगज, 201/2 क्षेत्रफल 1760.51 वर्गगज तीनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 4970.95 वर्गगज (4156.21 वर्गमीटर) के संयुक्तीकरण बाबत।  
**आवेदक :-** श्रीमती सुशीला चौहान पत्नी श्री रामवल्लभ, श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री रमेश चौहान, श्री सुरेश चौहान पुत्र श्री परसराम

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदक से प्रस्तावित उपयोग बाबत टिप्पणी प्राप्त करते हुए अनुशांसा के साथ समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा संख्या 24 :- (24.11.2021) जोन-दक्षिण**

**विषय :-** राजस्व ग्राम सांगरिया के विवेक विहार योजना के सेक्टर जे के मानचित्र में संशोधन बाबत।

**निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में विवेक विहार शाखा से सेक्टर जे में पूर्व में आवंटित भूखण्डों मय माप की पुनः जांच सुनिश्चित करते हुए आयोजना शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संशोधित करते हुए 66' x 70' के स्थान पर 33' x 70' के दो-दो भूखण्ड अर्थात् कुल 4 नवीन भूखण्ड सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त भूखण्डों को निलामी की सूची में सम्मिलित करने हेतु संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 25 :-(24.11.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/बाईपास के सहारे स्थित वृक्षारोपण पट्टी के संबंध में नीतिगत निर्णय बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2013 को जारी आदेश के क्रम में उक्त आदेश से पूर्व के प्रकरणों में वृक्षारोपण पट्टी को सम्मिलित करते हुए नवीन पट्टा विलेख जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। वृक्षारोपण पट्टी के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित प्रयोजन के दृष्टिगत आरक्षित दर की दुगुनी दर से राशि लिये जाने बाबत उपायुक्त को निर्देशित किया गया। नवीन पट्टा विलेख में वृक्षारोपण पट्टी की चौड़ाई मास्टर प्लान के प्रावधान अनुसार 30 मीटर रखी जावें।


एजेण्डा संख्या 26 :-(24.11.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569 (पार्ट) रकबा 450655.87 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्राधिकरण की योजना में आयोजना शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जोन उपायुक्त को राजस्व मानचित्र अनुसार जांच व सुपरइम्पोजिशन करने तथा अभियान्त्रिकी शाखा को मौके पर उक्त योजना से संबंधित आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी (एल.पी.)/का.वि./2021 / 1400 - 1404 दिनांक:- 06/12/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

**परिशिष्ट-“1”**

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                     | अध्यक्ष    |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                      | सदस्य      |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।           | सदस्य      |
| 4. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्री राजेन्द्र चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर     | सदस्य      |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।            | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

10/11/2021